प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 127/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

Karan Dangi Addl.: Village-Kharbdiya, PO-Matoon, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 30/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329148855570773 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 51836223089 दिनांक 04.10.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/127/23/2023/1333–34 दिनांक 04.10.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक: भू.अ./सूअअ/2005/2023/2242 दिनांक 30.10.2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी से संबंधित समस्त वांछित सूचना/दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 2222 दिनांक 26.10.2023 से जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी श्री करण डांगी को उपलब्ध करा दी गई है। अब इस कार्यालय से प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराना शेष नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय के पत्रांक 2222 दिनांक 26.10.2023 से जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

चूंकि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियत समयावधि उपरान्त उपलब्ध करवायी गई है अतः प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकार तहसीलदार गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों को नियमानुसार निश्चित समयावधि में निरस्तारण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर